

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-6, द्वितीय से पंचम तल
ऑ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail- samsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक- राजस्थान/पाप/वै.शि./

/NHSIU दिशा-निर्देश/2024-25/1635

दिनांक-20-6-24

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3, 6 माह) दिशा-निर्देश सत्र 2024-25

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 एवं राजस्थान के आर्टीई नियम 2011 के नियम 6 में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं (OoSC) को आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता प्राप्त करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधान की क्रियान्विति हेतु सत्र 2023-24 में राजस्थान में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशोपरान्त उस कक्षा की दक्षता विकसित करने तथा बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु 3 माह, 6 माह का गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन सत्र 2024-25 में किया जाना है। इन गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश इस प्रकार से हैं:-

(1) सामान्य कार्य प्रक्रिया:-

- गत सत्र 2023-24 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान चिह्नित कर विद्यालय में नामांकित करवाये गये शिक्षा से वंचित बच्चों को उनकी आयु अनुरूप कक्षा की शैक्षिक दक्षता को ध्यान में रखते हुये 3 माह एवं 6 माह के गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया था।
- उक्त विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण एवं गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का विवरण ब्लॉक कार्यालय की प्रबन्ध पोर्टल आई.डी. के माध्यम से सत्र 2024-25 के लक्ष्य हेतु प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है। तदनुसार जिलावार लक्ष्य संलग्न है।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- 3 माह की अवधि तथा 6 माह की अवधि वाले शिविरों का संचालन पृथक-पृथक किया जायेगा।

(2) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक-बालिकाओं की संख्या एवं शिविरों का निर्धारण:-

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों की इस विषय में सहमति प्राप्त करने कि वे अपने पुत्र/पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण से जोड़ना चाहते हैं या गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ 3, 6 माह की अवधि वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थी 10 बालक-बालिकाओं को एक समूह मानते हुये एक शिविर संचालित होगा। बालक-बालिकाओं की संख्या 10 से कम होने पर निकटतम विद्यालय में ऐसे बच्चे जिन्हें चिह्नित किया गया है, को शामिल करते हुये गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। अधिकतम बच्चों की संख्या वाली एतएमसी द्वारा शिविर संचालन सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित किया जायेगा।

RajKaj Ref
7835730

- शिविर संचालन हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यार्थी संख्या न्यूनतम 10 से भी कम रहने पर गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन नहीं किया जाकर ऐसे विद्यार्थियों को स्वयं के विद्यालय के नियमित शिक्षकों द्वारा ही शैक्षिक दक्षता का विकास किया जायेगा।
- पीईईओ/यूसीईईओ प्रत्येक तीन माह की शैक्षिक स्तर की सूचना अनिवार्य रूप से सीडीईओ को उपलब्ध करवायें। प्रशिक्षण शिविर / विद्यालय स्तर पर शिक्षकों से लाभान्वित हो रहे बच्चों की सूचना भारत सरकार के प्रबन्ध पोर्टल पर Special Training Center Module (संलग्नक) पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- 3 माह की अवधि तथा 6 माह की अवधि वाले शिविरों का संचालन पृथक-पृथक किया जायेगा।

(3) शैक्षिक व्यवस्था:-

- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शैक्षिक कार्य प्रशिक्षित योग्य एज्यूकेशन वॉलन्टियर (एज्यूकेशन वॉलन्टियर) द्वारा किया जायेगा।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में 10 से 19 बालक-बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक एज्यूकेशन वॉलन्टियर होगा।

➤ एज्यूकेशन वॉलन्टियर का चयन-

- एज्यूकेशन वॉलन्टियर के चयन की प्रक्रिया एस.एम.सी. द्वारा पात्र बालक-बालिकाओं की संख्या निर्धारित होने के बाद गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रस्ताव भिजवाने के साथ प्रारम्भ कर दी जावे ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होते ही शिविर प्रारम्भ किये जा सकें।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर के प्रभावी चयन हेतु संख्या, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, देय मानदेय, योग्यता/चयन के आधार के संबंध में एस.एम.सी. द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत/नगर पालिका कार्यालय आदि में नोटिस चस्पा कर व अन्य माध्यम से किया जावे।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ के निर्देशन में एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलन्टियर (EV) का चयन किया जायेगा।
- शिविरों में एज्यूकेशन वॉलन्टियर का चयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ शिक्षण कार्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति का किया जाए।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर का कार्य करने हेतु एक से अधिक EV उपलब्ध होने पर तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के अनुसार मेरिट निर्धारित कर चयन किया जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर चयन हेतु प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति को वरियता दी जाये।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर के चयन हेतु एस.एम.सी./एस.डी.एम.सी. एक पैनल तैयार करेगी एवं पैनल से मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को एज्यूकेशन वॉलन्टियर हेतु नियुक्त करेगी।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर के चयन हेतु B.Ed./BSTC होना अनिवार्य है।
- शिविर में Interns से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो Interns को किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।
- एज्यूकेशन वॉलन्टियर को प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय में से 10 प्रतिशत का भुगतान बाह्य मूल्यांकन के बाद किया जायेगा।

- मानदेय का भुगतान एस.एन.ए. के माध्यम से किया जायेगा।

तालिका 02

सोमता	प्रतिशत	एच्यूकेशन वॉलन्टियर हेतु अंक भार
दसवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 60 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
बारहवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 60 प्रतिशत तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
BSEC/ B.Ed.	प्रथम श्रेणी	5 अंक
	द्वितीय श्रेणी	3 अंक
	तृतीय श्रेणी	1 अंक
समाप्तक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	-
	50 व 50 से अधिक एवं 60 प्रतिशत तक	-
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	-
सञ्चालक	-	5 अंक
कुल अंक	-	30 अंक

(4) शिक्षण, शिक्षण सामग्री एवं सामान्य निर्देश:-

- 10 से कम बच्चे होने पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित होने वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार स्थित राजकीय विद्यालयों में से एक शिक्षक को नामित करेंगे। यह शिक्षक यथा संभव नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के आधिक्य वाले विद्यालय से होगा।
- उक्त शिक्षण शिविर प्रारम्भ होने के प्रथम 5 दिवस में शिविर में नामांकित बालक-बालिकाओं के अनुकूल गतिविधियाँ करावेगा। इस दौरान क्षेत्रीय खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य बाल मनोरंजक गतिविधियाँ संचालित कर बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जाकर शिविर में अनुकूलन की कार्यवाही होगी।
- शिविर में प्रशिक्षित किये जा रहे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी में वांछित शैक्षिक स्तर के अनुरूप पैदा हुई समझ एवं विकसित दक्षता का मूल्यांकन प्रतिमाह मानक मापदण्ड (लर्निंग इन्डिकेटर) अनुसार तैयार प्रश्न पत्र द्वारा किया जायेगा। यह प्रश्न पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ द्वारा मनोनीत उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन का रिकार्ड एच्यूकेशन वॉलन्टियर द्वारा निर्धारित पोर्टफोलियो में रखा जायेगा।
- आरएससीईआरटी द्वारा तैयार की गयी वर्क बुक से कक्षा 1 से 7 तक वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पढ़ाया जाएगा।
- उक्त पाठ्यक्रम द्वारा एक कक्षा स्तर की दक्षताओं का विकास अधिकतम 3 माह में किया जायेगा।
- एच्यूकेशन वॉलन्टियर को कमी भी नियमित नहीं किया जा सकेगा।
- तीन माह एवं छः माह की अवधि के लिए संचालित शिविर - तीन माह के शिविर** में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जॉच दल, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, सीआरसी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर.पी. सदस्य होंगे। इनके द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। बाह्य मूल्यांकन के परिणाम (परिशिष्ट-7) के आधार पर शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं के कक्षा स्तर का निर्धारण करेंगे तथा परिणाम अनुसार निर्धारित कक्षा में उन्हें संबंधित विद्यालय में मैनस्ट्रीम कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। इसी प्रकार छः माह के शिविर में द्वितीय बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर उन्हें उक्त कक्षा में संबंधित विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। यह कक्षा बालक-बालिका की आयु अनुरूप कक्षा से भिन्न हो सकती है। अतः कक्षा भिन्न होने की स्थिति में तदनुसार एस.आर. पंजिका एवं शाला दर्पण पोर्टल में परिवर्तन किया जाए।

RajKaj Ref
7835730

- विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन मिड-डे-मील योजनान्तर्गत मिलेगा। इस हेतु मिड-डे-मील का अतिरिक्त पोषाहार शिविर संचालन स्थल वाले विद्यालय को आवंटित किया जाये तथा उस विद्यालय को पोषाहार कम आवंटित किया जाये जहाँ पर उन बालक-बालिकाओं का आयु अनुरूप कक्षा में सामाजिक हुआ है।
- शिविर में अत्यन्त बालक-बालिकाओं को भी मिड-डे मील व दूध आदि की योजनाओं से अन्य राजकीय विद्यालयों पर लागू नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान शिविर संचालन स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की उपस्थिति प्रतिदिन प्रमाणित की जाएगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर की अवधि के दौरान शिविर स्थल की एसएमसी की निगरानी में शिविर स्थल पर संस्था प्रधान द्वारा प्रतिमाह अध्यापक-अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट-3 के अनुसार रिकार्ड संभारण किया जाएगा। इस बैठक में एज्यूकेशन वॉलन्टियर, अभिभावक एवं एसएमसी मिलकर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा शिविर संचालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा समाधान स्थानीय स्तर पर खोजेंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्यापन कराने वाले एज्यूकेशन वॉलन्टियर की एक दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन ब्लॉक स्तर पर सीईईओ द्वारा नामित आर.पी. के द्वारा किया जायेगा। बैठक दिवस को शिविर संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ के निर्देशन में शिविर स्थल की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जायेगी। एज्यूकेशन वॉलन्टियर्स की मासिक बैठक में वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रभारी (एपीसी) एवं आर.पी. शिविर संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे तथा एज्यूकेशन वॉलन्टियर के समक्ष प्रस्तुत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण करेंगे तथा शिविर को बेहतर चलाने हेतु अपने सुझाव देंगे। शिविर का फीडबैक लिया जाकर बैठक की रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत एज्यूकेशन वॉलन्टियर बालक/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करे अन्यथा उनके मानदेय में निरीक्षण के समय अनुपस्थिति के आधार पर कटौती की जा सकेगी।
- शिविरों का संचालन शिविरा पंधान के अनुसार विद्यालय समय में किया जाएगा।
- जो शिविर विद्यालय परिसर में चल रहे हैं, उनमें कार्यरत एज्यूकेशन वॉलन्टियर को संस्था प्रधान द्वारा अन्य कक्षाओं के अध्यापन का दायित्व दे दिया जाता है, जो अनुचित है। एज्यूकेशन वॉलन्टियर केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं को ही अध्यापन कार्य करायेगा।

(6) मॉनिटरिंग एवं समीक्षा:-

- विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लेमेंटेशन/ मॉनिटरिंग एवं रिव्यू हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-
 - ग्राम पंचायत/कस्बा स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी। इस समिति में उन विद्यालयों से संबंधित एक शिक्षक जिनके विद्यार्थी कक्षा स्तर अनुरूप दसता विकसित करने हेतु शिविर में पंजीकृत हैं सदस्य होंगे। यह कमेटी विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लेमेंटेशन/ मॉनिटरिंग एवं वांछित सुधार हेतु उत्तरदायी रहेगी।
 - एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा की जायेगी।
 - जिलाधीश की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी जिसकी समीक्षा की जायेगी एवं सुधार हेतु सुझाव दिये जायेंगे।

- मॉनिटरिंग कमेटी मासिक बैठक आयोजित कर शिविर का प्रबन्धन करेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित करेगी।

(6) दायित्व निर्धारण :-

1. जिला/ब्लॉक/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के कार्यालयों, अधिकारियों के संयुक्त दायित्व -

- अपने जिले के 6-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव की जाँच कर अधिकतम शिविरों की संख्या निर्धारित कर अविलम्ब स्वीकृति जारी कर समय सूचना परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मौखिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना। अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कर रिकार्ड संधारण करवाना।
- शिविर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
- संचालित शिविरों की सूचना भारत सरकार के प्रबन्ध पोर्टल पर सीबीईओ लॉगइन से STC मॉड्यूल (संलग्नक अनुसार) पर अनिवार्य रूप से अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- एजुकेशन वालिन्टियर की अनुपस्थिति/प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- शिविर संचालन की समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं आवश्यक निर्देश जारी करना।
- शिविर समाप्ति पर समस्त अभिलेख सुरक्षित रखवाना।

2. डीपीसी/एडीपीसी का दायित्व :-

- जिले में संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में से 15 प्रतिशत शिविरों का मासिक निरीक्षण करना।
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा भी सभी विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन अवधि के दौरान एक बार औचक निरीक्षण करवाना।

3. सीबीईओ का दायित्व :-

- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ से प्राप्त विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ का प्रस्ताव अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- ब्लॉक में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर अविलम्ब समग्र सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- बाह्य जाँच दल का गठन कर विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना।
- सीबीईओ निम्नलिखित रिकार्ड संधारण हेतु एजुकेशन वालिन्टियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करे एवं शिविर समाप्ति पर यह समस्त रिकार्ड ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ कार्यालय में संरक्षित करें।

- स्टॉफ उपस्थिति पंजीक
- अस्थाई/ स्थाई सामग्री रजिस्टर
- छात्र/छात्रा फोटोफिलियो
- फ्रीश बुक

- पी.टी.एम./ प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजीक
- समग्र विभाग चक्र
- विद्यार्थी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना पंजीक

RajKaj Ref
7835730

4. ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के गुरीईईओ/संस्था प्रधान के दायित्व:-

- शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की प्राप्ति संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत/ वार्ड में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु स्थान मंजूर करना एवं एज्यूकेशन वॉलंटियर की संख्या का निर्धारण करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलंटियर का मंजूर करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सहायता करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलु को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- शिविर स्थल की एसएमसी की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण करना।
- बाह्य जूज दल के कार्य में सहयोग करते हुए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन करना।

5. विद्यालय प्रबन्धन समिति के दायित्व:-

- एज्यूकेशन वॉलंटियर के चयन से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना एवं एज्यूकेशन वॉलंटियर का चयन करना।
- शिविर स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलंटियर की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करना एवं शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रति माह उस विद्यालय को प्रेषित करना जहां उनका नामांकन आयु अनुरूप कक्षा में कराया गया है।
- शिविर स्थल की एसएमसी की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु मासिक बैठक का आयोजन करना।

6. एज्यूकेशन वॉलंटियर/ शिक्षक के दायित्व :-

- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत समस्त बालक-बालिकाओं का आधार नामांकन करवाना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में कक्षा स्तर निर्धारण हेतु सीसीई पैटर्न के अनुसार लिखित में आकलन कर रिकार्ड संधारण करना।
- पंजीकृत विद्यार्थियों के आकलन अनुसार निर्धारित कक्षा स्तर से आगे की क्षमताओं के विकास के लिए शैक्षिक योजना तैयार कर रिकार्ड संधारित करना।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में पोर्टफोलियो तैयार कर प्रतिमाह अपडेट करना।
- अनुपस्थित रहने वाले बालक-बालिकाओं की सूचना सम्बन्धित संस्था प्रधानों को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित समस्त अभिलेख संधारण करना।
- शिविर-विद्यार्थियों की शिक्षण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।

7. बजट :-

Non-Residential Special Training

Break up of unit cost for 3 Months (Per child unit cost @Rs. 1500/- & phy. 10 to 19 children in a center)

Break up of unit cost for 6 Months (Per child unit cost @Rs. 3000/- & phy. 10 to 19 children in a center)

S.N	Items	Remarks
1	Salary of EV	(a) If the student no. is minimum 10, then Rs. 4500/- per month. (b) And 11 to 19 student, then Rs. 18/- per child per working day will be paid to EV.
2	Special Training Learning Material (Work books)	As per requirement of OoSe
3	Management & Miscellaneous & other sundry expenses for three months. @ Rs. 150/- per class per child	As per requirement the rest amount will be used for management & miscellaneous expenses such as TLM, Stationary, Contingency & Medical etc.

RajKaj Ref
7835730

8. लेखा सम्बन्धी बिन्दु :-

- निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में 'राजस्थान लोक उपापन में पादरक्षिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

9. अन्य निर्देश -

- इन शिविरों की जिला/ब्लॉक स्तर से सघन मॉनिटरिंग की जाए, ताकि इन शिविरों में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं की आयु एवं कक्षा स्तर के अनुरूप सीखने की दक्षता विकसित की जा सके।
- नियमित रूप से काम आने वाली सामग्री यथा- चोंक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि तथा विज्ञान एवं गणित किट की व्यवस्था यथा संभव सम्बन्धित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाये।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर आनुपातिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में मौलिक लक्ष्य बढ़ाए जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर का सम्पूर्ण व्यय प्रोक्चोरमेंट निर्देशों के अनुसार शिविर स्थल की एसएमसी द्वारा किया जायेगा। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु शिविर स्थल के एसएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर (गैर आवासीय) हेतु अग्रिम राशि के हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (शिविर स्थल) स्तर पर संचारित किए जायें, जिसमें (1) अग्रिम राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अग्रिम में से हुए व्यय के समायोजन पश्चात् शेष राशि तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो।
- निश्चित अवधि के बाद बिना सक्षम स्वीकृति के विशेष प्रशिक्षण शिविर नहीं चलाये जाए।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक/बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर से प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करवाई जाकर तथा समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए गये पर्यवेक्षण को ध्यान में रखा जाकर औसत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर के समस्त व्यय बिलों पर एसएमसी (शिविर स्थल) के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अंकित होंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दिनांक एवं डिस्पेंस नम्बर अंकित किए जाए तथा उस पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ एवं सीबीईओ के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में किए गए समस्त व्यय का भुगतान एस.एम.ए. के माध्यम से किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु किए गए व्ययों का निश्चित समयावधि में समायोजन करवाने हेतु सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के यूसीईईओ जिम्मेदार होंगे।
- विशेष प्रशिक्षण शिविर में आवंटित मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाकर वसूली की जाएगी।

- अनावश्यक भुगतान रोकें जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर, अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
 - नियमानुसार शिविर संख्या नहीं होने की स्थिति में विद्यालय के नियमित शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थी की शैक्षिक दक्षता को बढ़ाने हेतु कार्य किये जाने पर विद्यार्थी एवं शिक्षक उपयोग हेतु टीएलएम, स्टेशनरी इत्यादि हेतु उक्त बजट सारणी की क्रम संख्या 05 के अनुसार राशि जारी की जायेगी।
 - परिशिष्टानुसार विद्यालय/ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर परिषद को प्रेषित करें।
 - ब्लॉक कार्यालय से विद्यार्थियों की नामजद सूचना प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट की जा चुकी है। अतः इनके लिये संचालित किये जाने वाले शिविरों के मैपिंग की सूचना, विद्यार्थी उपस्थिति, मैनस्ट्रीमिंग की सूचना तदनुसार समय-समय पर गत सत्र की भांति प्रबन्ध पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें।
- विशेष – परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में घरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रबन्ध पोर्टल एवम् एस.एन.ए. की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(9) सत्र 2024-25 हेतु लक्ष्य:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न जिलों में गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित किए जाएंगे, जिनका जिलेवार संख्यात्मक स्वीकृत लक्ष्य निम्नानुसार है:-

S. No.	District	Non-Residential					
		3 Months	3 Months @ 0.015	6 Months	6 Months @ 0.03	Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	60	0.90000		0.00000	60	0.90000
2	ALWAR	56	0.84000		0.00000	56	0.84000
3	BANSWARA	0	0.00000	100	3.00000	100	3.00000
4	BARAN	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
5	BARMER	112	1.68000	35	1.05000	147	2.73000
6	SHARATPUR	10	0.15000		0.00000	10	0.15000
7	BHILWARA	91	1.36500	8	0.24000	99	1.60500
8	BIKANER	137	2.05500		0.00000	137	2.05500
9	BUNDI	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
10	CHITTAURGARH	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
11	CHURU	24	0.36000		0.00000	24	0.36000
12	DAUSA	2	0.03000		0.00000	2	0.03000
13	DHAULPUR	105	1.57500		0.00000	105	1.57500
14	DUNGARPUR	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
15	GANGANAGAR	11	0.16500		0.00000	11	0.16500
16	HANUMANGARH	1	0.01500		0.00000	1	0.01500
17	JAIPUR	8	0.12000		0.00000	8	0.12000
18	JAISALMER	19	0.28500		0.00000	19	0.28500
19	JALOR	55	0.82500		0.00000	55	0.82500
20	JHALAWAR	27	0.40500		0.00000	27	0.40500
21	JHUNJHUNU	26	0.39000	1	0.03000	27	0.42000
22	JODHPUR	24	0.36000		0.00000	24	0.36000
23	KARALI	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
24	KOTA	8	0.12000		0.00000	8	0.12000
25	NAGAUR	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
26	PALI	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
27	PRATAPGARH	0	0.00000	8	0.24000	8	0.24000
28	RAJSAMAND	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
29	SAWAI MADHOPUR	0	0.00000		0.00000	0	0.00000
30	SIKAR	53	0.79500		0.00000	53	0.79500
31	SIROHI	65	0.97500		0.00000	65	0.97500
32	TONK	49	0.73500		0.00000	49	0.73500
33	UDAIPUR	48	0.72000		0.00000	48	0.72000
Total		991	14.86500	152	4.56000	1143	19.42500

विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन प्रस्ताव

(प्रस्ताव सीआरसी अपने क्षेत्र की एस.एम.सी. से तैयार कराकर CBEO (मुख्य स्कूल शिक्षा अधिकारी) को एवं CBEO द्वारा ADPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

1. नाम जिला :- स्लाक- सीआरसी -
 2. स्थान का नाम, जहाँ शिविर संचालित किया जाएगा - शिविर का प्रकार - गैर आवासीय
 3. शिविर संचालन करने वाली एस.एम.सी. का नाम - अवधि - 3 माह / 6 माह
 4. विवरण -

सूची

क्र. सं.	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	जन्म तिथि	वास स्थान का नाम	VER/WER में वर्ज क्रमांक	हाउस होल्ड सर्वे में दर्ज क्रमांक	विद्यालय का नाम जिसमें नामांकित कराया गया है।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

- (1) वे सब बालक/बालिकाएँ हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षा से वंचित बालक-बालिका के रूप में विहित हैं।
 (2) प्रबन्ध पोर्टल पर प्रविष्ट सूची में अंकित बालक/बालिकाओं का विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दक्षता विकसित करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा में वार्षिक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है।

हस्ताक्षर
सीबीईओ

हस्ताक्षर
सीआरसी

हस्ताक्षर
शिविर स्थल एसएमसी अध्यक्ष

प्रपत्र-2

(विशेष प्रशिक्षण शिविर स्थल पर एज्युकेशन वॉलंटियर द्वारा भरा जायेगा)

1. शिक्षा से वंचित रहने के कारण :-
 2. सावधिक आकलन (प्रतिमाह भरा जाये) :-
 (अ) विवरण:-

विषय	प्रवेश के समय (वर्षा अंकित करें)	प्रथम मासिक टेस्ट के बाद	द्वितीय मासिक टेस्ट के बाद	तृतीय मासिक टेस्ट के बाद	अंतिम आकलन	एज्युकेशन वॉलंटियर द्वारा अचानक बड़े उपप्राप्तताक मापदण्ड
भाषा						
गणित						
वर्गीकरण						
सामाजिक विज्ञान						
कला शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा						

* A अच्छा, B संतोषजनक, C सुधार अपेक्षित

(क) उपस्थिति:-

कुल कार्य दिवस	प्रथम माह की उपस्थिति	द्वितीय माह की उपस्थिति	तृतीय माह की उपस्थिति	योग

3. मैनरिट्रनिंग का विवरण (विशेष प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद) :-

1. विद्यालय :- 2. कक्षा :-
 2. प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक :- 4. मैनरिट्रनिंग नहीं होने की स्थिति में कारण :-

हस्ताक्षर
एज्युकेशन वॉलंटियर

हस्ताक्षर
शिविर स्थल संस्था प्रधान

RajKaj Ref
7835730

बाह्य मूल्यांकन परिणाम प्रपत्र

शिविर का प्रकार:-

शिविर की अवधि

शिविर स्थल एस.एम.सी.

शिविर प्रारम्भ दिनांक

क्र.सं.	नाम बालक-बालिका	विद्यालय का नाम जिससे आगु अनुसूच्य कक्षा में प्रवेश दिलाया गया।	शिविर प्रारम्भ में बालक-बालिका की दक्षता अनुसूच्य कक्षा	शिविर समाप्ति पर बालक-बालिका की दक्षता अनुसूच्य कक्षा

हस्ताक्षर
आर.पी.
(सीबीईओ द्वारा नामित)

हस्ताक्षर
सीआरसीएफ

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / प्रतिनिधि

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु प्राप्त राशि

यू आईस कोड

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में प्राप्त गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर राशि रु. का उपयोग एसएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि..... है।

क्र. सं.	भाह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मन्त्र/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	मन्त्रार पंजिका में इन्वॉयस		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव एसएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष एसएमसी

नोट- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक जिला

**गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर)**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में ब्लॉक जिला के
प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक
विद्यालयों में संचालित कुल गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु
जारी की गई राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु परिषद् से जारी
दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई
उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	आई.स. कोड	विद्यालय का प्रकार प्राथि/उच्चप्राथि/उमाधि	गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)			दि.दि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

RajKaj Ref
7835730

**गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में जिला को गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर नद में प्राप्त राशि रुपये में से कुल गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC) को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता पश्चात शेष राशि रुपये है। शेष राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

(अविष्कृत चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक:- राप्रशिप/जय/वै.शि./NRSTC दिशा निर्देश/ /2024-25/1635

दिनांक:- 20-6-24

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय / प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपायुक्त (योजना) राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला प्रभारी अधिकारी, समस्त जिले।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
10. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (सीआरसी)/शाहसी सीआरसी।
11. सम्बन्धित सचिव, प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, आर.ई.आई. पार्टनर्स, परिषद कार्यालय, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7835730